ई–मेल/डाक/आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)रोल्स/निर्वा/2013/3776 जयपुर, दिनांक 13-08-13

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं मूल मतदान केन्द्रों के साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 680 दिनांक 05.03.2013 एवं पत्र क्रमांक 1870 दिनांक 21.5.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर मतदान केन्द्रों के पुर्नगठन के प्रस्ताव विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए गए थे। विभाग द्वारा दिए गए उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार तत्समय केवल मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के विषय में ही प्रस्ताव भेजे जाने थे। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर आयोग से अनुमोदन कराया गया है तथा तद्नुसार राज्य के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 03 जुलाई, 2013 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है।

2. इस विषय में कृपया विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 1870 दिनांक 21.5.2013 का अवलोकन करें। उक्त पत्र के पैरा 3 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान में चल रहे **पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों के दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अन्तिम प्रकाशन के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो गई है, के साथ सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10 सितम्बर, 2013 तक विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।**

3. आगामी विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सहायक मतदान केन्द्र के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राज्य के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान मतदान केन्द्रों का एक बार पुनः भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। यह कार्यवाही स्वयं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाएगी। इस विषय में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

3.1 संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 01 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण किया जाना है।

3.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भौतिक सत्यापन का कार्य करते समय संलग्न **परिशिष्ट–ए** के अनुसार करेंगे । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भैतिक सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस परिशिष्ट का अध्ययन कर लें जिससे कि सभी कॉलम की पूर्ति सही प्रकार से की जा सके।

....................2

3.3 मतदान केन्द्रों पर सुविधा आदि की उपलब्धता के विषय में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 3202 दिनांक 23.7.2013 के द्वारा दिए गए निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाना है जिससे कि मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के विषय में सूचना का संकलन निर्धारण दिनांक तक किया जा सके।

3.4 भौतिक सत्यापन के दौरान भवन की स्थिति के विषय में यह भी देखा जाएगा कि वह बिलकुल ठीक हालत में है। चूँकि वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व भवन परिवर्तन के प्रस्तावों पर आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया गया है इसलिए भवन परिवर्तन के ऐसे प्रस्ताव भेजे जाए जिसमें भवन वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया एवं जर्जर अवस्था में है। इस विषय में सार्वजनिक निर्माण विभाग/पंचायत समिति में पदस्थापित सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न करनी होगी जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि भवन क्षतिग्रस्त है तथा इसमें आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान कराया जाना सम्भव नहीं है। इसकी पुष्टि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी करनी होगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर भी प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा कर तदनुसार **परिशिष्ट–सी** में तैयार कर नजरी नक्शे के साथ प्रस्ताव विभाग को अग्रेषित करेंगे ।

4. मतदान केन्द्रों के संशोधन/पुनर्गठन के विषय में वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो गई है उनके साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जाए। इस विषय में मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने के बाद निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है।

4.1 सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव संलग्न **परिशिष्ट–बी** के अनुसार तैयार किए जाने है। परिशिष्ट–बी के निर्धारित कॉलम में मतदान केन्द्र का नाम व विद्यमान मतदान केन्द्रों में पंजीकृत कुल मतदाताओं की अनुभागवार संख्या अंकित की जाएगी। सहायक मतदान केन्द्र मूल मतदान केन्द्र के साथ प्रस्तावित किए जा रहे है अतः मूल मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या मय अनुभाग व क्रमांक के साथ अंकित की जाएगी तथा सहायक मतदान केन्द्र को बाकी संख्या के साथ **'ए'** के रूप में अंकित किया जाएगा। मूल मतदान केन्द्र के साथ स्थापित किए जाने वाले सहायक मतदान केन्द्र के क्रम में तद्नुसार सूचना अंकित करते हुए इसे **'ए'** मतदान केन्द्र के रूप में अंकित किया जाएगा। सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रस्तावित सहायक मतदान केन्द्रों के मूल मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र का नजरी नक्शा भी क्षेत्र/परिक्षेत्र दर्शाते हुए दो प्रतियों में उक्त प्रस्ताव हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कर प्रेषित किए जाने है।

4.2 वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिनांक 30 अगस्त, 2013 को मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कितने मतदान केन्द्र है जिनमें मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो गई है, ऐसे मतदान केन्द्रों के साथ विद्यमान भवन में ही सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाने है। उक्त प्रस्ताव संलग्न **परिशिष्ट–बी** के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में A-4 आकार के पेपर पर टंकित करवाकर तैयार करने होगें।

................3

4.3 यदि किसी कारणवश विद्यमान भवन में स्थान उपलब्ध नहीं है तो मतदान केन्द्र के समीप के भवन में सहायक मतदान केन्द्र स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रस्तावित किया जा सकता है, यदि विद्यमान मतदान केन्द्र के पास कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है तथा सहायक मतदान केन्द्र विद्यमान भवन के अधिक दूरी पर प्रस्तावित किया जा रहा है तो इस विषय में प्रस्ताव प्रेषित करते समय पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए जिससे कि विभाग/आयोग स्तर पर इसका परीक्षण करने के बाद यथास्थिति निर्धारित मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करते हुए विद्यमान मतदान केन्द्र में अधिक मतदाता होने पर भी इसे यथावत रखने अथवा दूरस्थ स्थान पर मतदान केन्द्र स्थापित करने के विषय में अनुमति प्राप्त की जा सके।

4.4 सहायक मतदान केन्द्रों के विषय दिनांक 30 अगस्त, 2013 तक मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद तुरन्त स्थिति की समीक्षा कर लें तथा सहायक मतदान केन्द्र के प्रस्ताव तैयार करने के विषय में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाए। जिससे उक्त प्रस्ताव दिनांक 10 सितम्बर, 2013 तक विभाग में प्राप्त हो जाए।

5. उपरोक्तानुसार सहायक मतदान केन्द्र के प्रस्ताव तैयार कर विभाग को आवश्यक रूप से 10 सितम्बर, 2013 तक प्रस्तुत कर दिए जाए। यदि किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भवन परिवर्तन के उपरोक्तानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए गए है तो इन प्रस्तावों को जिला स्तर पर गठित स्थाई समिति के समक्ष चर्चा कर बैठक का कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर प्रस्ताव प्रेषित किए जाए।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से व समयबद्ध पालना की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.6(1)(1)रोल्स/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-ए

<u>भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट</u>

जिले का नाम :

(न0) .... (नाम) .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम एवं आरक्षण की स्थिति :

निरीक्षण कर्ता का नाम व पद:–

वर्तमान में स्थापित मतदान केन्द्र											प्रस्तावित संशोधन एवं उनके आधार / औचित्य के संबंध में टिप्पणी
क्र.स. व भाग संख्या	मतदान केन्द्र का स्थान (लोकेशन)	मतदान भवन का नाम	मतदान केन्द्र का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	प्रवेश निकासी द्वार पृथक – पृथक हैं ? नहीं हो तो कारण ।	मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/ग्रामों के नाम (शहरी क्षेत्र के सन्दर्भ में वार्ड/वार्डो के नम्बर) मय मतदाताओं की संख्या	समस्त मतदाताओं के लिए या केवल पुरुष/महिलाओं के लिए	कुल मतदाता	किसी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिये अधिकतम तय की जाने वाली दूरी	मतदान केन्द्र पर विकलांग मतदाताओं के लिए रेम्पस बने हुए है या नहीं	निरीक्षण का दिनांक :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हस्ताक्षर (नाम)

परिशिष्ट–बी

सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव

नमूना

जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में (समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) हवामहल (049) के लिये मूल मतदान केन्द्र के साथ प्रस्तावित (सहायक मतदान केन्द्र) की सूची

क0 सं0	भाग संख्या	मतदान केन्द्र का इलाका	भवन जिसमें मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा	मतदान केन्द्र का क्षेत्र (वर्गमीटर में)	क्या प्रवेश और निकास अलग–अलग है, यदि नहीं तो कारण लिखें	मतदान क्षेत्र/ परिक्षेत्र का नाम व मतदाता क्रम संख्या	कुल मतदाता	कुल समानुदेशित मतदाताओं की संख्या	वह अधिकतम दूरी जो किसी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिये तय करनी पड़ेगी	टिप्पणी
						वर्तमान मतदान केन्द्र				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	50	शास्त्री नगर	नेहरू ज्ञान मन्दिर शास्त्री नगर कमरा नं0 4	28	नहीं	वार्ड नं. 64 आंशिक 1. शिवशक्ति कॉलोनी 1 – 450 2. ललिता शास्त्री नगर सड़क 451–649 3. ललिता शास्त्री नगर सड़क गली नं0 5 650–1120 4 हरिजनबस्ती के साथ शास्त्रीनगर 1121–1550	– 450 199 471 430	1550	1.5 किमी	
						(प्रस्तावित मतदान केन्द्र)				
	50	शास्त्री नगर	नेहरू ज्ञान मन्दिर शास्त्री नगर कमरा नं0 4	28	नहीं	वार्ड नं. 64 आंशिक 1. शिवशक्ति कॉलोनी 1 – 450 2 हरिजनबस्ती केसाथ शास्त्रीनगर 1121–1550	450 430	880	1.5 किमी	क.सं0 1 से 450 तथा 1121 से 1550 तक के मतदाता
	50ए	शास्त्री नगर	नेहरू ज्ञान मन्दिर शास्त्री नगर कमरा नं0 5	12	नहीं	वार्ड नं. 64 आंशिक 1. ललिता शास्त्री नगर सड़क 451–649 2. ललिता शास्त्री नगर सड़क गली नम्बर 5 650–1120	199 471	670	1.5 किमी	क.सं0 451 से 1120 तक के मतदाता

हस्ताक्षर मय सील
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
जयपुर

परिशिष्ट–सी

मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव

नमूना

जिले का नाम अजमेर

(13)–अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या–99 पुष्कर एवं आरक्षण की स्थितिः सामान्य

वर्तमान मतदान केन्द्र					प्रस्तावित मतदान केन्द्र			
क0 सं0	मतदान केन्द्र की कम संख्या एवं भाग संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम एवं स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र के भवन का नाम व स्थान	मतदान केन्द्र के क्षेत्र का विवरण	मतदाताओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1/1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुढा कमरा नं. 2	1. मुख्य गाँव क्र. 1 से 450 2. बेरी मोहल्ला क्र. 451 से 475 3. पंडों का मोहल्ला क्र. 476 से 503 4. माली मोहल्ला क्र. 504 से 807	450 25 28 304	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दायां भाग, गुढा	1. मुख्य गाँव क्र. 1 से 450 2. बेरी मोहल्ला क्र. 451 से 475 3. पंडों का मोहल्ला क्र. 476 से 503 4. माली मोहल्ला क्र. 504 से 807	450 25 28 304	सहायक अभियंता सा.नि. विभाग पुष्कर(अजमेर) की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मतदान केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण
			कुल योग	807		कुल योग	807	

हस्ताक्षर मय सील
जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर)
अजमेर